फैक्स

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पत्रांकः एफएस-1307-2012 दिनांकःलखनऊः [illegible] 01, 2014

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश

विषयः निवेश मित्र व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाना।

आप अवगत ही हैं कि निवेश मित्र व्यवस्था को दिनांक 19.09.2013 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया जा चुका है। इसे और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु उद्योग बन्धु द्वारा इस व्यवस्था का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। निवेश मित्र व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरे समसंख्यक पत्र, दिनांक 12.01.2014 के द्वारा "आन्तरिक शासनादेश" आप समस्त को निर्गत किये गये हैं।

दिनांक 24.03.2014 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न एकल मेज व्यवस्था की बैठक में निर्देश दिये गये कि **दिनांक 01 मई, 2014 से सभी विभागों के निवेश मित्र (एकल मेज) से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र ऑन लाइन ही प्राप्त किये जायेंगे।**

2- अतएव, कृपया उक्त के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः-

1. दिनांक 01 मई, 2014 से अग्निशमन विभाग के निवेश मित्र (एकल मेज) से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र ऑन-लाइन ही प्राप्त किये जायें।
2. किसी भी स्थिति में प्रार्थना-पत्र, हार्ड कॉपी में प्राप्त नहीं किये जायेंगे।
3. दिनांक 01 मई, 2014 के बाद किसी प्रकार की कार्यवाही हार्ड कॉपी लेकर की जाती है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. सरकारी विभाग से हार्ड कॉपी में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को जनपदीय नोडल अधिकारी के द्वारा केवल प्रथम बार ऑन लाइन लॉगिन कराते हुए उस विभाग को लिखित रूप में भविष्य में प्रार्थना-पत्र ऑन लाइन लेने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
5. इसी प्रकार की व्यवस्था के लिए, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के पत्र संख्याः एफएस-1076-2012, दिनांक 05.10.2012 के द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा फायर रिपोर्ट के लिए भी प्रार्थना-पत्र "ऑन लाइन" प्राप्त किये जायें।

3- उक्त के अतिरिक्त अग्निशमन विभाग की वेब साइट www.upfireservice.gov.in दिनांक 01.05.2014 से प्रारम्भ हो रही है।

(प्रवीण सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
फायर सर्विस, उ0प्र0,
लखनऊ।

प्रतिलिपि श्री अजय कुमार उपाध्याय, संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12–सी, माल एवेन्यू, लखनऊ को उनके पत्र संख्याः उ0ब0 / 4063 / 1188 / 2014–15 / आई.टी. सेल / दिनांक 22.04.2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उपरोक्त के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0।
2. समस्त उप निदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त अग्निशमन अधिकारी, उ0प्र0।
5. प्रभारी, अग्निशमन केन्द्र, उ0प्र0।